राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्ष पदों पर नियुक्तियां

3504. **श्री शिव प्रताप मिश्र :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1993 के इंडियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली) में "फाइनेन्स मिनिस्ट्री, सी० बी० आई० पुल्ड अप पी० एम० ब्लाक्स टेन्टेड बैंकर्स प्रोमोशन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में शीर्ष पदों की नियुक्तियों के लिए संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्तियों के नामों की स्वीकृति के संबंध में प्रधान मंत्री ने प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं,

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन बैंकों में नियुक्त किया जाना था, और

(ग) किन कारणों से उन व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : नवम्बर, 1992 में मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के समक्ष, आंध्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए० टी० अकोलकर की यथापेक्षित आवश्यक सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने और पद के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखने के पश्चात आन्ध्रा बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ।

Unemployment Insurance Scheme

3505. SMT. KAMLA SINHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are contemplating to give rise to an Unemployment Insurance Scheme in the industrial sector; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) Yes, Sir. A Committee has been set up in the Department of Industrial Development to examine the feasibility and operational details of the proposed Insurance Fund for Employees' (IFE) under National Renewal Fund. One of the objectives of the IFE is to explore the possibility of devising an Unemployment Insurance Scheme. The deiatls of the scheme will be known only after the submission of the Committee's Report.

Irregularities in Jaipur Division of LIC

3506. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the irregularities in Jaipur Division of LIC.

(b) whether LIC's internal audits reports have pointed out that 40 percent of the New business done in 1991-92 was bogus;

(c) whether it is a fact that a large number of policies of the Division lapsed within one year of 1991-92; and

(d) if so, what action has been taken to check such irregularities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) Yes, Sir.

(b) The total business done by Jaipur Division for the year 1991-92 was Rs. 522 crores. The aduit report has pointed out a difference of Rs. 31 crores in the completed New Business which was due to non-reduction of the figures in respect of cheques dishonoured.

(c) The policies taken in 1991-92 will lapse in the year 1992-93 in the event of non-payment of premiums and the details of the lapses of the policies of 1991-92 will therefore be available only after the finalisation of the valuation as at 31-3-1993 which is to be completed in September, 1993.

(d) Appropriate action against the persons responsible for the lapse is being taken.

Income Tax Exemption

3507. SHRI V. RAJESHWAR RAO : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether, in view of the 100 per cent exemption of donations from income tax, if given to Universities, the donations given in the year 1993-94 would be entitled for such concession;

(b) what is the name of the competent authority which will approve the University as eligible for such concession; and

(c) the date from which the competent authority would begin considering applications from Universities for this purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The competent authority for considering applications of Universities will be notified shortly and the notification in this regard will be laid on the Table of the House.

वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों पर छापे

3508. **श्री सोम पाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों के परिसरों पर आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा कितने अधिकारी दोषी पाए गए ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों और उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक मुख्य सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी के परिसरों की आयकर विभाग द्वारा तलाशी ली गई थी ।

कर्नाटक बैंक लि० की विभिन्न शाखाओं में 64.5 लाख रु० के सकल फर्जी निक्षेपों के बारे में प्राप्त हुई सूचना के आधार पर बैंक के विकास अधिकारी श्री राजाराम खानदिगे, जिन्होंने उन सभी जमाकर्ताओं का परिचय करवाया था, के परिसरों की आयकर विभाग द्वारा दिनांक 22-6-1990 को तलाशी ली गई थी । तलाशी के दौरान रिकार्ड किए गए बयान में श्री खानदिगे ने बताया कि श्री जे० अलेक्जेंडर तत्कालीन वित्त आयुक्त कर्नाटक सरकार द्वारा इन निक्षेपों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी । यह सूचना लोक आयुक्त को भेजी गई थी, जिस पर लोक आयुक्त तथा आयकर विभाग द्वारा श्री अलेक्जेंडर के परिसरों की तलाशी ली गई थी । किसी परिसम्पत्ति का अभिग्रहण नहीं किया गया । आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत सावधिक निक्षेप रखे गए थे । कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं । तथापि, तलाशी के दौरान मालूम की